अंत्योदय सरल

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना

पात्रता

- प्रार्थी/जीवनसाथी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।
- परिवार पहचान पत्र में आवेदक की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
- मरम्मत किया जाने वाला मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। मरम्मत के लिए सहायता राशि और किसी भी अन्य विभाग से नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड दिया जाना आवश्यक है।

लाभ

इस योजना के तहत, उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में **1.80 लाख** रुपये से कम है या इसके बराबर है, जिनके घर की **मरम्मत** की आवश्यकता है, इस उद्देश्य के लिए **80000/- रुपये** की राशि प्रदान की जाती है।

आवशयक दस्तावेज़

पहचान/नागरिकता का सबूत निम्नलिखित हैः-

- आवेदक के नाम मकान की रजिस्टरी/मालिकाना हक़ की प्रति /हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- मरम्मत किए जाने वाले घर की तस्वीरें और मालिक के साथ घर की फोटो।
- बैंक अकाउंट पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी. (आधार से जुड़ा हुआ) - **स्वप्रमाणित**/अंगूठे का निशान
- ग्राम सचिव द्वारा सत्यापित मालिकाना हक़ की स्कैन की गई प्रति
- मरम्मत किये जाने वाले घर का अनुमानित लागत रिपोर्ट (राजमिस्त्री)

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 10/-	रु0 10/-